-:: प्रेस–नोट ::-

पटवार सीधी भर्ती–2021 के पारदर्शी एवं शांतिपूर्वक सफल आयोजन हेतु जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग की सभी तैयारियां पूर्ण :– परीक्षा में पारदर्शी एवं शुचिता सुनिश्चित करने हेतु बोर्ड द्वारा बहुआयामी तकनीकी/उपकरणों (Frisking एवं Metal Detector) का किया जायेगा इस्तेमाल।

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग ने दिनांक 23 से 24 अक्टूबर 2021 को होने वाली उक्त परीक्षा की सभी तैयारी पूर्ण कर ली है। प्रत्येक केन्द्र पर केन्द्राधीक्षक, अतिरिक्त केन्द्राधीक्षक, अभिजागर, आंतरिक सर्तकता दल, ऑब्जर्वर, पुलिसकर्मी आदि लगाये गये है। परीक्षार्थियों की परीक्षा केन्द्र में प्रवेश से पूर्व गहन तलाशी व अनुमत फोटोयुक्त पहचान पत्र (ID) के आधार पर अभ्यर्थी की पहचान सुनिश्चित हो जाने, **Frisking व परीक्षा केन्द्रों पर स्थापित मेटल डिटेक्टर (Metal Detector) से जांच की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ही परीक्षा केन्द्र में प्रवेश दिया जायेगा। यह व्यवस्था पुरूष एवं महिला अभ्यर्थी पर समान रूप से लागू होगी। इसलिए परीक्षार्थियों को सलाह दी जाती है कि परीक्षार्थी परीक्षा तिथि को परीक्षा प्रारम्भ होने के निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र पर पहुँचे। अतिरिक्त सतर्कता की दृष्टि से परीक्षा केन्द्र एवं परीक्षा कक्ष में उपर्युक्त स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे भी लगाये जाने की व्यवस्था भी की जा सकती है, जिससे परीक्षा केन्द्र की गतिविधियां "कैमरे की नजर" में रहें।**

मोबाइल/ब्लूटूथ या अन्य कोई संचार उपकरण को परीक्षा केन्द्र के अन्दर ले जाना सर्वथा वर्जित है। इसके बावजूद भी यदि कोई अभ्यर्थी ऐसा करता है तो उसके विरूद्ध कठोर कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। **बोर्ड स्वंय के स्तर पर कुछ विशेष संदिग्ध या विवादित अभ्यर्थियों के रोल नं0 चिन्हित कर गोपनीय रूप से जिला प्रशासन एवं पुलिस अधिकारियों को प्रेषित कर सकता है, जिन पर परीक्षा आयोजन के प्रयोजनार्थ गठित सतर्कता दल यथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नेतृत्व में गठित फ्लाइंग स्क्वाड (Flying Squad), आब्जर्वर, केन्द्राधीक्षक एवं आंतरिक सतर्कता दल द्वारा विशेष निगरानी रखी जा सके। भर्ती परीक्षा के समय परीक्षा कार्य हेतु ड्यूटी देने वाले अधिकारी/कर्मचारी परीक्षा ड्यूटी के दौरान राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अधीन प्रतिनियुक्ति पर माने जायेंगे। अतः हम सभी निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा कार्य संपन्न कराने हेतु संकल्पबद्ध है।**

इस परीक्षा हेतु पंजीबद्ध कुल 15 लाख 62 हजार 995 अभ्यर्थियों में से 5 लाख 2 हजार 307 महिला अभ्यर्थी पंजीबद्ध है। परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभ्यर्थियों को ड्रेस कोड की पालना करनी होगी। ड्रेस कोड की पालना नही करने वाले अभ्यर्थियों (पुरूष हो अथवा महिला) को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश नहीं दिया जावेगा। परीक्षा आयोजन से सम्बद्ध अधिकारियों/कार्मिकों के विधिसम्मत निर्देशों की अवहेलना करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी। परीक्षा केन्द्र में अवांछित सामग्री ले जाने का प्रयास करने, नकल करने, अभ्यर्थी के स्थान पर फर्जी अभ्यर्थी बैठाने अथवा प्रयास करने वाले अभ्यर्थियों की परीक्षा निरस्त की जाकर बोर्ड द्वारा आगामी समय में आयोजित परीक्षाओं से आजीवन अवधि के लिए प्रतिबंधित किये जायेंगे। **साथ ही राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों के उपयोग की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत एफ.आई.आर दर्ज करवायी जावेगी। हाल ही में इस अधिनियम में सरकार की ओर से प्रस्तावित संशोधन के अनुसार इस अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज प्रकरण में कारावास की अवधि 3 वर्ष से बढाकर 7 वर्ष किये जाने तथा ऐसे अपराध (परीक्षाओं में अनुचित साधनों का उपयोग) को गैर–जमानती अपराध की श्रेणी में शामिल किया गया है।**

परीक्षाओं के सम्बन्ध में विभिन्न सोशल मीडिया पर किये जा रहे भ्रामक प्रचार पर विश्वास न करें। बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिष्ठित समाचार–पत्रों में एवं बोर्ड की वेबसाईट www.rsmssb.rajasthan.gov.in पर प्रकाशित विज्ञप्ति द्वारा दी गई जानकारी को ही अधिकृत माना जावे।

(हरि प्रसाद शर्मा)
अध्यक्ष,
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड,
जयपुर